न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
02/2022	11.12.2022	02-1-2026

भज्जू पुत्र टुण्डा, माली निवासी नौगांव तह0 गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री तरूण कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 222 रकबा 0.25 है0 ग्राम खुदस्या तह0 गंगापुर सिटी मे स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा भज्जू पुत्र टुण्डा के स्थान पर भजनी पुत्रत्र टुण्डा गलत रूप से अंकित कर दिया है जो दुरूस्त होने योग्य है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों मे प्रार्थी का नाम भज्जू पुत्र टुण्डा अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का नाम भजनी पुत्र टुण्डा के स्थान पर भज्जू पुत्र टुण्डा अंकित किया जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी संवत 2072—75 खाता संख्या 114 ग्राम नौगांव, जमाबंदी संवत 2072—75 खाता संख्या 77 ग्राम खुदस्या, फोटोकॉपी आधारकार्ड, परिचय पत्र, राशनकार्ड भज्जू प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से उनके पत्र क्रमांक भूअ/25/2106 दिनांक 28.10.2025 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके साथ पटवारी हल्का बामनबडौदा की रिपोर्ट भी संलग्न की गई है।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे भजनी पुत्र टुण्डा के स्थान पर भज्जू पुत्र टुण्डा दर्ज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार साबिक बंदोबस्त खतौनी संख्या 2039 के [illegible] नम्बर 222 मे खातेदार का नाम भजनी पुत्र टुण्डा माली सा. [illegible] दर्ज रिकॉर्ड ह। वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 77 [illegible] खातेदार का नाम भजनी पुत्र टुण्डा माली सा. नौगांव दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार नामा. संख्या 481, 499, 493 से भजनी पुत्र टुण्डा नाम से रहन मुक्त एवं रहन दर्ज होना पाया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:25:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

जमाबंदी संव 2072–75 खाता संख्या 114 ग्राम खुदस्या मे प्रार्थी द्वारा भज्जू पुत्र टुण्डा के नाम से बैंक से ऋण प्राप्त किया गया है तथा जमावंदी संवत 2072–75 खाता संख्या 77 ग्राम खुदस्या मे प्रार्थी द्वारा भजनी पुत्र टुण्डा के नाम से बैंक ऋण प्राप्त किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा भजनी पुत्र टुण्डा के नाम से बैंक ऋण प्राप्त करने तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02-1-26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:25:17 IST
Reason: SelfAttested